FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

2022/213

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सिहाग बनाम श्री नरेश स्वामी पुत्र श्री श्योनारायण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा बाबत नं. 21 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खादय सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सिहाग द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप. गैर सायल स्वयं उपस्थित। गैर सायल अप्रार्थी ने वकालतनामा एडवोकेट मो. अब्बास भाटी ने पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/7/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	नरेश स्वामी
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप. वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने जवाब पेश किया एवं बहस की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/7/22 पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक की ओर से अनावेदक स्वयं तथा अधिवक्ता श्री मो0 अब्बास भाटी उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं अधिवक्ता अनावेदक की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने पचेरी मोड़, बुहाना, झुन्झुनू में मैo चिड़ावा मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह मिठाई बनाकर बेचता है। तथा मिठाई के साथ नमकीन (बिकानेरी भुजिया बिकाजी) भी बेचता है। जो वह बिकाजी एजेन्सीज से पैक्ड खरीदता है। अनावेदक ने बिकाजी एजेन्सीज से पक्का बिल भी प्राप्त किया था जो कि उससे गुम हो गए। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1972/एक्ट/2020/1899/ दिनांक 20.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन (बिकानेरी भुजिया बिकाजी) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ. एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 चिड़ावा मिष्ठान भण्डार पर नमकीन (बिकानेरी भुजिया बिकाजी) का बेचान करता है तथा अनावेदक दुकान मालिक है एवं बिकाजी एजेन्सीज से नमकीन खरीदने से संबंधीत कोई दस्तावेज बिल आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ नमकीन (बिकानेरी भुजिया बिकाजी) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री नरेश स्वामी पुत्र श्री श्योनारायण, मै0 चिड़ावा मिष्ठान भण्डार, पचेरी मोड़, बुहाना, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर झुझुनूं Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.08.05 12:02:24 IST Reason: SelfAttested	